विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 864 दिनांक : 29/7/17

प्रति,

प्राचार्य,
भारतीय महाविद्यालय,
माधव नगर रेल्वे स्टेशन के पीछे,
उज्जैन।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :— महाविद्यालय का सम्बद्धता—निरंतरता आवेदन क्रमांक / 110,दिनांक 03.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / संबद्धता / सम्बद्धता—निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017 में प्रस्तुत किया गया,जिसमें "निर्णय लिया गया कि,भारतीय महाविद्यालय,उज्जैन,में सत्र 2017—18,से बी.ए.(अर्थशास्त्र,राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र / कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन),बी.बी.ए.,बी.कॉम.(प्लेन / कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन),बी.कॉम.(आनर्स),बी.एससी.(बॉयोटेक्नोलॉजी, रसायन,प्राणिकी)(रसायन,माईक्रोबॉयोलाजी,प्राणिकी)(कम्प्यूटर विज्ञान,गणित,सांख्यिकी, भौतिकी),एवं एम.कॉम. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता—निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017—18 से बी.ए.(अर्थशास्त्र,राजनीति विज्ञान,समाजशास्त्र / कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन),बी.बी.ए.,बी.कॉम. (प्लेन / कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन),बी.कॉम.(आनर्स),बी.एससी.(बॉयोटेक्नोलॉजी,रसायन,प्राणिकी) (रसायन,माईक्रोबॉयोलाजी,प्राणिकी) (कम्प्यूटर विज्ञान,गणित,सांख्यिकी,भौतिकी),एवं एम.कॉम.पाठ्यक्रमों की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता—निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017—18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता—निरंतरता प्रदान की जाती है :—

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.ए.(प्लेन)	60 (पूर्वानुसार)
02.	बी.बी.ए.	40
03.	बी.कॉम.(आनर्स)	50

शर्ते :—01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में कोड 28 के तहत एम 01—एम 01 शिक्षक की नियुक्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

03. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र,राजनीति शास्त्र, एवं बी.कॉम.(आनर्स) तथा बी.बी.ए. सम्बन्धित प्रत्येक विषयों की पाठ्यक्रम के अनुरूप पचास(50)—पचास(50) पुस्तकें नये एडिशन की क्रय कर पुस्तकालय में रखे जाकर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

04. कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं को बड़े आकार के कमरों में शिफ्ट किये जाये। 30(तीस) नवीन कम्प्यूटर क्रय कर प्रयोगशालाओं में रखे जाये और पुराने कम्प्यूटरों को प्रयोगशालाओं में न रखे जाये।

निरंतर...02

05. क्लॉस रूम में रखे फर्नीचर जो ठीक नहीं है उनकी मरम्मत करवा दी जाय अथवा नये फर्नीचर क्रय कर रखे जाये। ऐसे फर्नीचर जो अच्छे है उनकी रंगाई करा दी जाये।

06. छात्रों के लिये 01 और छात्राओं के लिये 01 नये ट्वालेट्स बनवाए जाकर उनकी फोटोग्राफ, सहित विश्वविद्यालय भेजकर सूचित करें। ट्वालेट्स की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।

07. विद्यार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु दो(02) और बड़े आकार के वाटर कूलर RO सहित क्रय कर महाविद्यालय परिसर में रखे जाकर उनके फोटो ग्राफ एवं रसीद की छायाप्रति सहित विश्वविद्यालय को सूचित करें।

08. विकलांग विद्यार्थीं के लिये रैम्प का निर्माण करवाकर फोटोग्राफ संलग्न कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

09. क्लॉस रूम के दीवारों एवं छत की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कराकर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 865

दिनांक : 29/7/17

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,शासकीय कालीदास कन्या स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,उज्जैन।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/225 दिनांक :- 12.6.17

-:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2017-18 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता-निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- भारतीय महाविद्यालय,उज्जैन

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :-(1) बी.ए.(प्लेन) (2) बी.ए.(कम्प्यूटर [illegible])
(3) बी.बी.ए. (4) बी.कॉम.(प्लेन)
(5) बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन) (6) बी.एससी.(बॉयोटेक्नालॉजी)
(7) बी.एससी.(माईक्रोबॉयोलॉजी)(8) बी.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान)
(9) बी.कॉम.(आनर्स) (10) एम.कॉम.

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. प्रो. एच.पी.सिंह – आचार्य, सतत् शिक्षा अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. प्रो. डी.के. मेहता – आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. डॉ. आर.के.अहिरवार– विभागाध्यक्ष,प्रा.भा.ई.सं.एवं पुरा.अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
04. डॉ. एस.के.मिश्रा – उपाचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में [illegible] एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का [illegible] शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्रशिक्षित संस्था से प्राप्त [illegible] प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा विगत सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा [illegible] की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तो की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के [illegible] में स्पष्ट अनुशंसाएं अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. [illegible] प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक [illegible] भत्ता तथा सार्वजनिक [illegible] वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा [illegible] [illegible]

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/226 दिनांक :- 12-6-1

प्रतिलिपि :-

01. समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचित किया जाता है कि, अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं निरीक्षण के दौरान की गई विडीयो ग्राफी की सी.डी.दो प्रतियों में उपलब्ध करावे ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जाने की आगामी कार्यवाही की जा सके।

02. प्राचार्य/अध्यक्ष,संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि,संयोजक निरीक्षण समिति से संपर्क कर अविलम्ब महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। यदि निरीक्षण नहीं कराते है तो,सम्बद्धता/निरन्तरता प्रदान करने में हुई विलम्बता के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

03. प्राचार्य/अध्यक्ष,संबंधित महाविद्यालय कृपया स्टाफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपलब्ध संसाधनों की जानकारी सी.डी. में अनिवार्यत निरीक्षण समिति को उपलब्ध करायें जिससे की उच्च शिक्षा विभाग,के निर्देशानुसार उक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा सके।

04. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन। की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)